

मध्य प्रदेश शासन
आयुष विभाग,
वल्लभ भवन कमांक-3, चतुर्थ तल
मंत्रालय भोपाल

// आदेश //

भोपाल दिनांक 26/11/2019

कमांक/3769/4207/2019/1/59 : राज्य शासन द्वारा समयमान वेतनमान के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक दिनांक 26/11/2019 में समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुक्रम में निम्नलिखित आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम (3) में उल्लिखित प्रथम/द्वितीय/तृतीय उच्चतर समयमान वेतनमान कॉलम (4) में अंकित दिनांक से स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.	नाम/पदनाम/जिला	समयमान वेतनमान प्रथम/द्वितीय/तृतीय विचार हेतु पात्रता दिनांक/वेतनमान	दिनांक जिससे समयमान वेतनमान हेतु उपयुक्त होकर देय है।
1	2	3	4
1.	डॉ०जगदीश चन्द्र सौलकी आ.चि. अ. सीहोर (सेवानिवृत्त 31.01. 2014)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01/04/2008
2	डॉ० भरतसिंह राठौर, आ.चि.अ. जिला भोपाल ।	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01/04/2006
		(तृतीय नवीन) 23.06.2017 (37400-67000+8700)	23/06/2017
3	डॉ०मधुलाल जगवानी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला सीहोर (सेवानिवृत्त 31.01.2012)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01/04/2006
4	डॉ. कबीर आलम कादरी, यूनानी चिकित्सा अधिकारी जिला रायसेन (सेवानिवृत्त 31.01.2011)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01/04/2006
5	डॉ.सलीम अहमद, यूनानी चिकित्सा अधिकारी जिला भोपाल (सेवानिवृत्त 31.05.2025)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01/04/2015
6	डॉ.शाहीन जमाल सिद्धीकी, यूनानी चिकित्सा अधिकारी जिला	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006	01/04/2006

	भोपाल (सेवानिवृत्त 31.03.2022)	(15600-39100+7600)	
7	डॉ. प्रदीप कुमार दुबे, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला भोपाल (सेवानिवृत्त 31.08.2023)	(द्वितीय कार्योत्तर) 04.02.2007 (15600-39100+7600)	04 / 02 / 2007
8	डॉ. राजेश कुमार मिश्रा, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी जिला भोपाल (सेवानिवृत्त 30.04.2021)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	01 / 04 / 2006
9	डॉ. एस.पी. तिवारी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला भोपाल (सेवानिवृत्त 31.08.2025)	(द्वितीय कार्योत्तर) 22.05.2011 (15600-39100+7600)	22 / 05 / 2011
10	डॉ. बी.पी. भरथरे, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला राजगढ़ (सेवानिवृत्त 31.12.2010)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	01 / 04 / 2006
11	डॉ. एच.एन. गुप्ता, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला राजगढ़ (निधन 13.12.2010)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	01 / 04 / 2006
12	डॉ. पी.एन. कुल्मी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला राजगढ़ (सेवानिवृत्त 30.06.2011)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	01 / 04 / 2007
13	डॉ. रमाकान्त मिश्रा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला रायसेन (सेवानिवृत्त 31.07.2013)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	01 / 04 / 2006
14	डॉ. राजेन्द्र सिंह राठौर आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला सीहोर (सेवानिवृत्त 31.01.2013)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	01 / 04 / 2006
15	डॉ. डी.डी. साहू आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला राजगढ़ (सेवानिवृत्त 30.11.2011)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	01 / 04 / 2006
16	डॉ. शंकरलाल दरे, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला रायसेन (सेवानिवृत्त 31.03.2010)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	01 / 04 / 2007
17	डॉ. जी.के. शाक्य, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला रायसेन (सेवानिवृत्त 31.05.2014)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	01 / 04 / 2006
17	डॉ. अनवर हुसैन, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006	01 / 04 / 2006

	रायसेन (सेवानिवृत्त 30.04.2011)	(15600-39100+6600)	
19	डॉ. मो. कामिल, यूनानी चिकित्सा अधिकारी जिला भोपाल (सेवानिवृत्त 31.07.2024)	(प्रथम कार्यात्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	01 / 04 / 2006
20	डॉ. शाहिद खान, यूनानी चिकित्सा अधिकारी जिला भोपाल (सेवानिवृत्त 31.07.2035)	(प्रथम कार्यात्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	01 / 04 / 2009
		(द्वितीय नवीन) 02.04.2014 (15600-39100+7600)	02 / 04 / 2014
21	डॉ. फिरदौसुन्निसा कौसर, यूनानी चिकित्सा अधिकारी जिला भोपाल (सेवानिवृत्त 30.06.2029)	(प्रथम कार्यात्तर) 27.04.2006 (15600-39100+6600)	27 / 04 / 2006
22	डॉ. सैयद अब्दुल नईम, यूनानी चिकित्सा अधिकारी जिला भोपाल (सेवानिवृत्त 31.07.2020)	(द्वितीय कार्यात्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01 / 04 / 2006
23	डॉ. प्रदीप कुमार चतुर्वेदी, औषधि निर्माण वैद्य, जिला भोपाल (सेवानिवृत्त 31.07.2023)	(प्रथम कार्यात्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)	01 / 04 / 2006
		(द्वितीय कार्यात्तर) 09.12.2007 (15600-39100+7600)	09 / 12 / 2007
24	डॉ. पी.सी. शर्मा, प्र. उप संचालक आयुष जिला भोपाल (सेवानिवृत्त 30.06.2024)	(द्वितीय कार्यात्तर) 06.02.2007 (15600-39100+7600)	01 / 04 / 2007
25	डॉ. जे.के. गुप्ता, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी जिला भोपाल (सेवानिवृत्त 31.12.2035)	(प्रथम नवीन) 11.11.2018 (15600-39100+6600)	11 / 11 / 2018

2/- कार्यालय प्रमुख द्वारा समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के पूर्व निम्न विन्दुओं के संबंध में संबंधित अधिकारी की सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत अभिलेख से पुष्टि कर ली जाए :-


2.1 संबंधित अधिकारी को प्रारम्भिक 08 वर्ष की सेवा अवधि प्रथम समयमान वेतनमान की स्वीकृत की तिथि से 08 वर्ष पूर्व के सेवाकाल में यदि कोई अकार्य दिवस घोषित किया गया हो तो समयमान वेतनमान का लाभ देते समय इस अवधि को गणना में शामिल न किया जाय।

2.2 यदि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय जाँच चल रही हो तो समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जावे।

2.3 समयमान वेतनमान का लाभ मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24/09/2008 के परिप्रेक्ष्य में परिपत्र क्रमांक-एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 07.11.2009 के अनुसार किया जावे।

3/ उपरोक्त वेतन निर्धारण में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित किया जावे। इस आदेश के द्वारा स्वीकृत समयमान वेतनमान संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा अनुमोदन पश्चात ही देय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(कलावती उईके)


अवर सचिव

म. प्र. शासन, आयुष विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक/3779/4207/2019/1/59
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 26 / 11 / 2019

- 1- विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, आयुष विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 2- निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, आयुष विभाग।
- 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 4- संबंधित संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन,.....। समयमान वेतनमान की कार्यान्तर स्वीकृति के प्रकरणों में जिन अधिकारियों को समयमान वेतनमान पात्रता दिनांक को स्वीकृत नहीं किया जाकर पश्चातवर्ती दिनांक से स्वीकृत किया गया है उनसे उक्त अवधि में किये गये अधिक भुगतान की वसूली के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर अवगत कराने का कष्ट करें।
- 5- उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल की ओर आदेश को विभागीय बेवसाइड पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 6- संभागीय आयुष अधिकारी,
- 7- जिला आयुष अधिकारी
- 8- संबंधित डॉ.
- 9- आदेश फाइल।


अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग